5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

368

निगरानी 1201-I-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।२०१५ निगरानी

१- शम्भूदयाल पुत्र छेदीलाल साहू,
२- लोकनाथ पुत्र किसुनलाल धोबी,
३- वीरेन्द्र सिंह पुत्र मोतीलाल धोबी निवासी समस्त- कस्बा नौगांव तेहसील नौगांव, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)

------ प्रार्थीगण

विरुध्द

१- कैलाश पुत्र किसुनलाल धोबी निवासी कस्बा नौगांव तेहसील व जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश)
---असिल प्रतिप्रार्थी
२- मध्यप्रदेश शासन,
३- विशाल जैन पुत्र अजीत कुमार जैन, -निवासी कस्बा नौगांव, तेहसील नौगांव जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) ।

----तरतीबी प्रतिप्रार्थी०

दिनांक 26-5-15 को श्री श्याम कु. ... श्री ... द्वारा प्रस्तुत।
26-5-15
SO

... 26/5/15

निगरानी विरुध्द आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय मण्डल नौगांव तेहसील नौगांव जिला छतरपुर दिनांकी २०-०३-१५, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० १४। अ-१२। १३-१४

5 रु. भारत COURT FEE INDIA Rs.5

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, विवादित आदेश कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, राजस्व निरीक्षक महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, भू-राजस्व संहिता की धारा १२९ के प्रावधानों का वर्तमान प्रकरण में पालन नहीं किया गया है।

४- यह कि, प्रार्थीगण की आपत्तियों पर न तो समुचित विचार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–1201–एक/2015 जिला–छतरपुर

शम्भूदयाल साहू आदि विरूद्ध कैलाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री कृष्णदत्त दीक्षित अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल नौगांव, तहसील नौगांव, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20–03–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीअधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18–04–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य	